Secy(TW)
Dir(TW)

ES

Personnel Section of Secretary (Law) R D No. 423 Date 16/2/15

Office of Executive Secretary Rd No. 2345 Date 18/2/15

DIRECTORATE OF TRIBAL WELFARE Diary No: 565 Date: 17/2/15

सेवा में

दिनांक 16 / 02 / 2015

सचिव
जनजाति कल्याण
पोर्टब्लेयर ।

विषय : जिरकाटांग में जारवाओं का घरों में घुसकर तंग करना ।

महोदय,

बात यह है कि दिनांक 14 / 02 / 2015 को सुबह करीब आट बजे कुछ जारवा लोग मेरे घर पर आए तो घरवालों ने गेट बंद कर दिया तो सब फौरन मेरे दुकान पर आ गए और खाने के लिए बिस्कुट वगेरह मांगने लगे । जब मैने व मेरे पडोस के दुकान वाले ने मना किया तो उन जारवाओं ने जोर जबरदस्ती करने लगे । उनके हाथों में दॉव, चुरी व तलवार भी था जिससे वे हमें डरा भी रहा था। इस तरह का मामला पहली बार नहीं है । गत 10 / 02 / 2015 को मेरे पडोसी श्री. सी. मोइदीन के घर में आकर तीन गोद केलाा ले गए ।

जब जारवा दुकान पर आकर तंग कर रहे थे तो मैने जिरकाटांग पुलिस चौकी फोन किया तो चौकी के इंचार्ज ने कहा कि जारवाओं की जिम्मेदारी अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति की है, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते । जव आदिम जनजाति वालों को फोन लगााया तो उनका फोन स्विच आफ मिला ।

जारवाओं का गॉव में आने से रोकना पुलिस व आदिम जनजाति दोनों की जिम्मेदारी है। यह जो भी घटना हुई है उसके लिए दोनों विभागों के कर्मचारी बराबर जिम्मेदार है । यह भी सुनने को मिला है कि आदिम जनजाति विकास समिति के लोग जानबूझकर जारवाओं को गॉव में भेजते हैं और उनके दवारा लाये गये सामान बाद में उनसे ले लेते है । अगर वक्त रहते इनको नहीं रोका गया तो इसके परिणाम संगीन हो सकते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले की जांच कराये और यह सुनिश्वित करें कि दोबारा जारवा गॉव के अंदर ने घुसे ।

भवदीय,

आपका आज्ञाकारी

एन० मुहम्मद

एन. मुहम्मद
जिरकाटांग
दक्षिण अंडमान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित

1 माननीय उप.राज्यपाल, अंडमान व निकोबार दीप समूह की जानकारी हेतु ।
2 पुलिस महानिदेशक की जानकारी हेतु ।
3 पुलिस निरीक्षक, दक्षिण अंडमान की जानकारी व आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4 माननीय सांसद, अंडमान व निकोबार दीप समूह की जानकारी हेतु ।
5 जिला परिषद अध्यक्षा, दक्षिण अंडमान की जानकारी हेतु ।